(2)

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
(शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन)
मंत्रालय

क्र.एफ 2–2/2009/1–15/कक — भोपाल, दिनांक 18-6-2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश

विषय–शासकीय विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं के शासकीय सेवकों को क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।

संदर्भ–इस विभाग का परिप. क्र. सी–3/17/89/49/3, दिनांक 22 नवंबर, 1989, क्र.एफ–2-3/96/1–15/क.क., दिनांक 19 अप्रैल,1996 एवं क्रमांक एफ 2–43/2001/1–15/कक, दिनांक 16 अगस्त, 2001

—0—

उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों द्वारा समय–समय पर यह निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि शासकीय विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं में कार्यरत शासकीय सेवक खिलाड़ियों को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश इस शर्त पर स्वीकृत किया जाये कि इससे संबंधित खिलाड़ी शासकीय सेवक के शासकीय उत्तर-दायित्व में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। यह विशेष आकस्मिक अवकाश संबंधित कर्मचारी के विभाग/कार्यालय/संस्थान प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

2/ उक्त अनुक्रम में यह भी निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि यूथ हॉस्टल एसोसियेशन ऑफ इंडिया की गतिविधियों में शासकीय सेवकों के भाग लेने के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में केवल 30 दिन का आकस्मिक अवकाश निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकेगा :–

(1) उक्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए, जाने से पूर्व शासकीय सेवक अपने कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करेगा।

(2) गतिविधियों में भाग लेने के बाद भी शासकीय सेवक द्वारा भाग लिए जाने संबंधी प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा।

....2

(3)

(3) गतिविधि लेने के कारण सामान्य शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

3/ यहां यह उल्लेखनीय है कि पैरा-1 एवं पैरा-2 में वर्णित दोनों तरह की खेल गतिविधियों में भाग लेने वाले कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की अधिकतम पात्रता 30 दिन ही रहेगी। (उपरोक्त प्रावधानों का यह अर्थ किंचित मात्र भी नहीं लगाया जावे कि खेल गतिविधियों हेतु पृथक से 30 दिन तथा यूथ हॉस्टल की गतिविधियों हेतु पृथक से 30 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है)।

4/ उपरोक्त पैरा-2 में वर्णित गतिविधियों हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश केवल सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन) द्वारा ही स्वीकृत किया जा सकेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी शासकीय सेवक खिलाड़ी बिना अवकाश स्वीकृति के प्रस्थान नहीं करेगा अर्थात पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(टी.धर्माराव) 18/6/09

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क.एफ 2-2/2009/1-15/कक

भोपाल, दिनांक 18-

प्रतिलिपिः-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त संगठन, म0प्र0 भोपाल
3. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इंदौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म0प्र0 भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, म0प्र0 राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म0प्र0 भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल
10. सचिव, म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म0प्र0 उच्च न्याया0 खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर

14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, म.प्र.शासन. सा0प्र0वि0, मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव / अवर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखा अधिकारी, म0प्र0 मंत्रालय, वल्लभ–भवन, भोपाल
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
18. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म0प्र0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

18/06/17

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग